रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032022-233886
CG-DL-E-03032022-233886

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/फाल्गुन 12, 1943
No. 954] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 984(अ).—केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 की 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अधिसूचना के अनुसरण में, द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, केरल (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, केरल कहा गया है) का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए करती है, अर्थात् :

1.	डॉ. एच. नागेश प्रभु, आईएफएस (सेवानिवृत्त), पो. चितुर, कुंदापुरा, उदुपी (जिला), कर्नाटक- 576233	अध्यक्ष;
2.	श्री के. कृष्णा पानिकर, अथीरा, केआरडब्ल्यूए 113, कवाल्लूर लेन, वट्टियूरक्वू, तिरूवनंतपुरम-695013	सदस्य;
3.	अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, केरल	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, केरल के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, केरल उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण, केरल, पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों पर अपना विनिश्चय देगा।

5. केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण, केरल की सहायता के प्रयोजन के लिए केरल राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात एसईएसी कहा गया है), केरल का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-

1.	डॉ अजयकुमार वर्मा , टीसी-7/3124, एमआरए-ए-195, कल्लमपल्ली, मेडिकल कॉलेज (पीओ), तिरुवनंतपुरम, केरल -695011।	अध्यक्ष;
2.	डॉ. बीजू कुमार ए, प्रोफेसर और अध्यक्ष, जलीय जीव विज्ञान विभाग, और मत्स्य पालन, केरल विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल -695581।	सदस्य;
3.	डॉ ए. एन. मनोहरन, फ्लैट नंबर 305 ब्लॉक III, केएसएचबी, मुट्टाथोडी, पीओ विद्यानगर , कासरगोड , केरल-671123	सदस्य;
4.	श्री एम. दिलीपकुमार , श्रीरंगोम, टीसी-31/455(2), सीआरए 20, मधुमुक्कू, अनायरा, पीओ, तिरुवनंतपुरम, केरल-695029	सदस्य;
5.	श्रीमती बीना गोविंदन, आनंदभवन, एडप्पारियाराम पीओ- एलानथुर, पठानमथिट्टा, केरल-689643	सदस्य;
6.	डॉ. सी.सी. हरिलाल, प्रोफेसर,पर्यावरण विज्ञान विभाग, वनस्पति विज्ञान विभाग, कालीकट विश्वविद्यालय, केरल	सदस्य;
7.	डॉ. के. वासुदेवन पिल्लई, राजधानी, उल्लास नगर, वडक्कनचेरी, पीओ, पलक्कड़, केरल -678683	सदस्य;
8.	डॉ के. एन कृष्णकुमार, अंजलिगोकुलम, मुत्तम्बलम, पीओ, कांजीकुज़ी, कोट्टायम, केरल -686004	सदस्य;
9.	श्री वी. गोपीनाथन, सीसी-32 श्रीरागम, चिन्मय कॉलोनी, विद्यानगर, पीओ कासरगोड, केरल -671123	सदस्य;
10.	डॉ. एन. अजितकुमार, निदेशक, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण अध्ययन केंद्र, खादी फेडरेशन बिल्डिंग, एनएच बायपास,	सदस्य;

	कोच्चि, केरल -682024	
11.	डॉ महेश मोहन, सहायक प्रोफेसर,(संयुक्त निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोलर स्टडीज), पर्यावरण विज्ञान स्कूल, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, प्रियदर्शिनी हिल्स, पीओ- कोट्टायम , केरल-686560	सदस्य;
12.	श्री एस. शेख हैदर हुसैन , आईएफएस (सेवानिवृत्त), वेल्लोर कॉलोनी, पट्टुराइकल, त्रिशूर, केरल -680022।	सदस्य;
13.	डॉ. ए.वी. रघु, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केएससीएसटीई-केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची, त्रिशूर, केरल-680653।	सदस्य;
14.	श्री सुनील पामिदी, आईएफएस, निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय (पदेन)	सदस्य सचिव

6. एसईएसी, केरल के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एसईएसी, केरल द्वारा ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एसईएसी, केरल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति बनाने का प्रयत्न करेगा, और यदि सर्वसम्मति नही बन सके तो बहुमत की राय स्वीकार की जाएगी।

9. किसी तरह के हितों के संघर्ष से बचने के लिए –

(क) प्राधिकरण, केरल और एसईएसी, केरल के अध्यक्ष और सदस्यगण अपने सहयुक्त परामर्शी संगठन और परियोजना प्रस्तावकों जिससे वे संबद्ध रहे हैं की घोषणा करेंगे;

(ख) प्राधिकरण, केरल और एसईएसी, केरल के अध्यक्ष और सदस्यगण ऐसी किसी परियोजना, के लिए कोई परामर्श नहीं देंगे या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी से संबद्ध नहीं रहेंगे जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, केरल और एसईएसी केरल द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान किया जाना है; और

(ग) प्राधिकरण, केरल और एसईएसी, केरल के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने यदि पिछले पांच वर्षों में, किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवा उपलब्ध कराई है या विस्तार अध्ययन करवाए हैं, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, केरल और एसईएसी, केरल की बैठक से अपने आपको अलग रखेंगे।

10. केरल सरकार प्राधिकरण, केरल और एसईएसी, केरल के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने हेतु किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सचिवालय अपने समस्त सांविधिक कार्यों के संबंध में समस्त वित्तीय एवं संभार तंत्र संबंधी सहयोग के साथ-साथ आवास, परिवहन एवं ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

11. प्राधिकरण, केरल और एसईएसी, केरल के अध्यक्ष और सदस्यों के बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का भुगतान केरल सरकार के नियमानुसार किया जाएगा।

[फा. सं. आईए 3-1/1/2021-आईए-III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2022

S.O. 984(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub section (ii) in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Kerala (hereinafter referred to as the Authority, Kerala) comprising of the following persons, namely:-

1.	Dr. H. Nagesh Prabhu, IFS (Retd.), Post Chitur, Kundapura, Udupi (Dist.), Karnataka-576233.	Chairman;
2.	Shri. K. Krishna Panicker, Athira, KRWA 113, Kavalloor lane, Vattiyoorkavu, Thiruvananthapuram-695013.	Member;
3.	Additional Chief Secretary, Environment Department, Kerala.	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Kerala shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Kerala shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Kerala shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5.

5. For the purpose of assisting the Authority, Kerala, the Central Government, in consultation with the State Government of Kerala, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC), Kerala comprising of the following Members, namely:-

1.	Dr. Ajayakumar Varma, TC-7/3124, MRA-A-195, Kallampally, Medical College (PO), Thiruvananthapuram, Kerala -695011.	Chairman;
2.	Dr. Biju Kumar A, Professor and Head, Department of Aquatic Biology, and Fisheries, University of Kerala, Thiruvananthapuram, Kerala -695581.	Member;

3.	Dr. A. N. Manoharan, Flat No.305 Block III, KSHB, Muttathody, P.O. Vidyanagar, Kasaragod, Kerala-671123.	Member;
4.	Shri M. Dilipkumar, Sreerangom, TC-31/455(2), CRA 20, Madhu Mukku, Anayara, P.O, Thiruvananthapuram, Kerala-695029.	Member;
5.	Smt. Beena Govindan, Anandabhavan, Edappariyaram P.O- Elanthur, Pathanamthitta, Kerala-689643.	Member;
6.	Dr. C.C. Harilal, Professor, Division of Environmental Science, Department of Botany, University of Calicut, Kerala.	Member;
7.	Dr. K . Vasudevan Pillai, Rajdhani, Ullas Nagar, Vadakkancherry, P.O, Palakkad, Kerala -678683.	Member;
8.	Dr. K.N. Krishnakumar, Anjaligokulam, Muttambalam, P.O, Kanjikuzhy, Kottayam, Kerala -686004.	Member;
9.	Shri V. Gopinathan, CC32 Sreeragam, Chinmaya Colony, Vidyanagar, P.O Kasaragod, Kerala -671123.	Member;
10.	Dr. N. Ajithkumar, Director, Centre for Socio-economic & Environmental studies, Khadi Federation Building, NH by pass, Kochi, Kerala -682024.	Member;
11.	Dr. Mahesh Mohan, Assistant Professor, (Joint Director, International Centre for Polar Studies), School of Environmental Sciences, Mahatma Gandhi University, Priyadarsini Hills, P.O-Kottayam, Kerala-686560.	Member;
12.	Shri S. Sheik Hyder Hussain, IFS (Retd), Vellore Colony, Patturaikal, Thrissur, Kerala -680022.	Member;
13.	Dr. A.V. Raghu, Senior Scientist, KSCSTE-Kerala Forest Research Institute, Peechi, Thrissur, Kerala-680653.	Member;
14.	Shri. Suneel Pamidi, IFS, Director, Directorate of Environment and Climate Change (ex-officio).	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Kerala shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Kerala shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Kerala shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest –

(a) the Chairman and Members of the Authority, Kerala and SEAC, Kerala shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Kerala and SEAC, Kerala shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Kerala and SEAC, Kerala during their tenure; and

(c) if in the preceding five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Kerala and SEAC, Kerala have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Kerala and SEAC, Kerala in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Kerala shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Kerala and SEAC, Kerala and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Kerala and SEAC, Kerala shall be paid as per the rules of the State Government of Kerala.

[F. No. IA 3-1/1/2021-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.